

फर्द अहकाम

बनाम राजगोपाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण संख्या 65/25

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/2/26	<p>समस्त पत्र उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>के अन्त</u> है। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 11/2/26 को पेश हो।</p>
	11/3/26	<p>समस्त पत्र उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>के अन्त</u> है। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 24/3/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>
	24/4/26	<p>समस्त पत्र उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>के अन्त</u> है। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 24/4/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>
	24/5/26	<p>समस्त पत्र उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>के अन्त</u> है। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 24/5/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>
	27/5/26	<p>पत्रवाली पेश हुई। उल्लेख में आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर भी जर्जी स्वयं व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुई। अतः उल्लेख अदम एजरी अदम पेशी में खासि किया जाता है। पत्रवाली उक्त संसार लेख दखिब दफ्तर में।</p> <p style="text-align: right;">(रीडर)</p>

उपखण्ड अधिकारी